



माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर

संशोधित

क्रमांक:

3496 -

दिनांक: 28/12/11

-:कार्यालय आदेश:-

बोर्ड परीक्षाओं में प्रविष्ट होकर उत्तीर्ण परीक्षार्थियों द्वारा उनके प्रमाण पत्र खो जाने अथवा नष्ट हो जाने की स्थिति में प्रतिलिपि (डुप्लीकेट) प्रमाण पत्र जारी करने हेतु वर्तमान में प्रार्थी से नोटेरी से मय फोटो प्रमाणित शुदा शपथ पत्र एवं 1999 तक की परीक्षाओं के लिये रूपये 75/- एवं 2000 एवं इससे आगे की परीक्षाओं के लिये रूपये 100/- शुल्क प्राप्त कर प्रतिलिपि प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। यह प्रमाण पत्र पंजीकृत डाक से प्रार्थी द्वारा शपथ पत्र में दिये गये पते पर भेजा जाता है।

वर्ष 1971 से 2011 के अंकतालिका सह प्रमाण पत्र/प्रतिलिपि प्रमाण पत्र जारी करने हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया अमल में लाई जावे :-

1. आवेदन पत्र के साथ किसी एक सभाकार पत्र में निम्नानुसार प्रारूप में प्रेस अधिसूचना प्रकाशित करानी होगी। प्रेस अधिसूचना का प्रारूप निम्नानुसार हो:-

-:प्रेस अधिसूचना:-

सूचित किया जाता है कि मा.शि.बोर्ड,राज.,अजमेर से मुख्य परीक्षा/पूरक माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा..... वर्षअनुक्रमांकसहित उत्तीर्ण करने से संबंधित मेरा मूल/डुप्लीकेट प्रमाण पत्र वास्तव में खो गया/नष्ट हो गया/खराब (विकृत) हो गया है।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

फोन नं.....

अभ्यर्थी का नाम.....

मोबाईल नं.

पूरा पता.....

2. प्रार्थी को शपथ पत्र में अंकन करना आवश्यक होगा कि उसके द्वारा एक न्यूज पेपर में अपने मूल प्रमाण पत्र के खोने की प्रेस अधिसूचना प्रकाशित करा दी है तथा इसकी कटिंग कर प्रति संलग्न कर रहा/रही है।
3. प्रार्थी को आवेदन पत्र के साथ शपथ पत्र में मजिस्ट्रेट/नोटेरी से अपनी पासपोर्ट साईज की फोटो भी प्रमाणित करनी होगी। इस शपथ पत्र में मजिस्ट्रेट/नोटेरी से संलग्न निर्धारित प्रारूप में प्रमाणित शुदा प्रस्तुत करना होगा जिसमें यह अंकन करना होगा कि मूल प्रमाण पत्र मिलने पर बोर्ड में पुनः जमा करा दूंगा।
4. आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को पंजीकृत डाक द्वारा प्रमाण पत्र/अंकतालिका सह प्रमाण पत्र भेजा जावेगा।

3497 - 514
28/12/11

सचिव

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. विशेषाधिकारी (परीक्षा) मा.शि.बोर्ड
2. वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी मा.शि.बोर्ड
3. निदेशक - (परीक्षा) मा.शि.बोर्ड
4. उप सचिव मा.शि.बोर्ड
5. उप निदेशक - (गोपनीय) मा.शि.बोर्ड
6. उप निदेशक - (लेखा) मा.शि.बोर्ड
7. उप निदेशक - (परीक्षा I) मा.शि.बोर्ड
8. उप निदेशक - (परीक्षा II) मा.शि.बोर्ड
9. ए.सी.पी. मा.शि.बोर्ड
10. वरिष्ठ सहायक निदेशक - (शैक्षिक) मा.शि.बोर्ड
11. वरिष्ठ सहायक निदेशक - (विधि) मा.शि.बोर्ड
12. सहायक निदेशक - (जनसम्पर्क) मा.शि.बोर्ड
13. निजी सचिव माननीय अध्यक्ष महोदय, मा.शि.बोर्ड
14. निजी सहा. (सचिव) मा.शि.बोर्ड
15. सहायक निदेशक (परीक्षा प्रथम,द्वितीय) मा.शि.बोर्ड
16. सहायक निदेशक (गोपनीय)
17. समस्त अनुभाग अधिकारी मा.शि.बोर्ड
18. रक्षित पत्रावली

सचिव

नोट- यह आदेश बोर्ड की वेबसाईट www.rajeduboard.nic.in पर उपलब्ध है।